न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या 312/2021 दायर दिनाँक 03.12.2021

वादीगण

1. कुम्भाराम
2. कन्हैयालाल पुत्रगण स्व0 मोहनराम जाति बलाई निवासी ग्राम तोषीणा उप तहसील छोटी खाटू तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. दीपाराम दत्तक पुत्र लिछमण
2. राजूराम पुत्र चौखाराम
3. केशाराम
4. पूर्णाराम पुत्रगण स्व0 भेराराम
5. रूघाराम पुत्र रामूराम
6. हड़मान
7. गणेशा पुत्रगण बिड़दा
8. मांगीलाल
9. समदर पुत्रगण दुर्गाराम समस्त जाति बलाई ग्राम तोषीणा उप तहसील छोटी खाटू तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
10. संतोष पत्नी स्व0 गोविन्दराम उर्फ गोमदाराम
11. किरण
12. बाया
13. निरमा
14. सीता पुत्रीया स्व0 गोविन्दराम उर्फ गोमदाराम
15. गोपाल पुत्र स्व0 गोविन्दराम उर्फ गोमदाराम समस्त जाति नायक निवासी डीडिया खुर्द तहसील जायल जिला नागौर राज0
16. धनराज पुत्र मेहराम जाति रेगर निवासी हरिजनों का मोहल्ला बाजवास तहसील परबतसर जिला नागौर राज0
17. रामेश्वर
18. मानाराम
19. हुक्माराम पुत्रगण खींवाराम
20. गिरधारी पुत्र नाथु
21. आसूराम पुत्र मांगूराम
22. नारायणराम
23. हेमाराम
24. बंशीराम पुत्रगण चन्द्रा
25. मगनाराम [illegible] समस्त जाति बलाई [illegible] तो[illegible] उप तहसील छोटी खाटू
26. [illegible]
27. [illegible] तहसील [illegible] खाटू।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.21 11:48:31 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत्

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपस्थितः–

1. श्री रघुवीरसिंह शेखावत वकील वादी।
2. श्री सुनिल शर्मा वकील प्रतिवादी सं0 2, 3, 4 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **19.03.2026**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि वाकै सरहद तोषीणा पटवार क्षेत्र तोषीणा के खेत खसरा सं0 646 रकबा 5 बिस्वा गैर मु0 बेरा एवं खसरा सं0 647 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा में से 1/10 हिस्सा में 1/3 हिस्सा राजीनामा अनुसार भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक **22.08.2024** को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार छोटीखाटू को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार छोटीखाटू ने अपने पत्रांकः भू.अ./2025/1957 दिनाँक 09.12.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार छोटीखाटू द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार छोटीखाटू सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार छोटीखाटू के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः भू.अ./2025/1957 दिनाँक 09.12.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :–

–:: आदेश ::–

सरहद तोषीणा पटवार क्षेत्र तोषीणा के खेत खसरा सं0 646 रकबा 5 बिस्वा गैर मु0 बेरा एवं खसरा सं0 647 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः भू.अ./2025/1957 दिनाँक 09.12.2025 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार छोटीखाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः भू.अ./2025/1957 दिनाँक 09.12.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.21 11:48:31 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनाँक 19.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना